


7-4-2022

वकील वारी अपाचित। वारी की ओर से वकील वारी ने प्रापत्र अन्तर्गत 023 R-1 CPC का पेश कर वार विद्दी हेतु निवेदन किया। वारी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर वार वारी विरुद्ध परिवर्तित अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA जारी से विद्दी शंरीज किया जाता है। (वारी ने प्रापत्र में निवेदन किया कि वह वार में संशोधन कर नया वार पेश करेंगे, जिस हेतु वारी विंतर्त है। पत्रावली कमल शूमार नम्बर से कम हो, काविल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राजी